न्यायालय एफ0टी0एस0सी0/अपर सत्र न्यायाधीश, रूड़की जिला हरिद्वार

सत्र परीक्षण सं0—156/2022
राज्य बनाम विवेक बोहरा।

मु0अ0सं0—784/2021
थाना—कोतवाली रूड़की।

<u>दिनांकः 30.07.2022</u>

पुकार पर अभियुक्त उप—कारागार रूड़की से न्यायिक अभिरक्षा मे उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री विवेक कुश उपस्थित।

पत्रावली आज बहस चार्ज हेतु नियत है परन्तु अभियुक्त की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि ''अभियुक्त के अधिवक्ता के भाई की किडनी खराब होने के कारण वह आज न्यायालय के समक्ष बहस करने मे असमर्थ हैं'' अतः न्यायहित में एक अन्य तिथि प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त के आरोप विरचन हेतु 03 तिथियां नियत हो चुकी है। इससे पूर्व दिनांक 23.07.2022 को भी अभियुक्त की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त का प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस चार्ज हेतु दिनांक 02.08.2022 को पेश हो।

(मौहम्मद सुल्तान)
एफ.टी.एस.सी./अपर सत्र न्यायाधीश
रूड़की, जिला हरिद्वार।